राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : राआम/सीआरओ/2025–26/40 दिनांक : 22.04.25

कार्यालय आदेश

मण्डल के कार्यालय आदेश क्रमांक प.1(1)कार्मिक/2024/815 दिनांक 29–06–2024 के द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल की सम्पत्तियों की नीलामी के ऐसे लम्बित प्रकरण जिसमें बोलीदाताओं द्वारा निर्धारित समयावधि में नियमानुसार देय राशि जमा नहीं कराई गई है, में अग्रिम आदेशों तक मांग पत्र/आवंटन पत्र जारी नहीं किये जावे एवं यदि कोई मांग पत्र/आवंटन जारी किये गये है तो उनके क्रम में अग्रिम आदेशों तक राशि जमा नहीं किये जाने बाबत निर्देशित किया गया था। आदेशों के द्वारा समस्त उप आवासन आयुक्त को निर्देशित कर आदेशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया था।

उक्त आदेश दिनांक 29–06–2024 के क्रम में मण्डल द्वारा पुनः कार्यालय आदेश क्रमांक प. 1(1)कार्मिक/2025/719 दिनांक 24–02–2025 जारी कर मण्डल के आदेश क्रमांक सीआरओ/राआम/2020–21/107 दिनांक 03–09–2020 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर कार्यवाही करने हेतु अनुमत किया गया है।

मण्डल द्वारा जारी उक्त आदेश दिनांक 29–06–2024 एवं दिनांक 24–02–2025 को प्रत्याहरित करते हुये, जिन सफल बोलीदाताओं को पूर्व में जारी आवंटन पत्र/मांग पत्र में वर्णित राशि जमा कराने की दिनांक 29–06–2024 तक प्रभावी थी। ऐसे प्रकरणों में दिनांक 29.06.2024 से 22.04.2025 तक की अवधि को शून्य माना जाकर दिनांक 22.04.2025 तक की अवधि में शिथिलन प्रदान करते हुए गुण–अवगुण के आधार पर नियमानुसार ब्याज वसूल करते हुये उक्त आदेशों के अनुसरण में संबंधित बोलीदाता को मांग पत्र 15 दिवस में जारी कर आगामी 30 दिवस की अवधि में (अवकाश अवधि को सम्मिलित करते हुये) राशि जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

ऐसे समस्त प्रकराणों को अविलम्ब मुख्य राजस्व अधिकारी से परीक्षण एवं अनुशंषा कराते हुये ही अग्रिम कार्यावाही वृत्त स्तर से संपादित की जा सकेगी। उक्त आदेशों के तहत इस प्रकार का कोई नवीन प्रकरण स्वीकार योग्य नहीं होगा। उक्त प्रकरणों पर आदेश क्रमांक सीआरओ/राआम/2020–21/107 दिनांक 03–09–2020 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही कार्यावाही की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक(विधि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता–प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियंता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत–.....राजस्थान आवासन मण्डल.....
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड–..... राजस्थान आवासन मण्डल.....
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Rashmi Sharma
Designation : Commissioner
Date: 2025.04.22 [illegible]:57:42 IST
Reason: Approved

वित्तीय सलाहकार

Rajtaj Ref No.: 14838151